न्यायालय तहसीलदार मकराना जिला नागौर (राज.)

अजअदालत :– तहसीलदार मकराना
बइजलासः– दिनेश कुमार शर्मा तहसीलदार मकराना
प्रकरण संख्या :– 06/2019
प्रार्थी–राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का इन्दौखा
बनाम
अप्रार्थीगण– सोहनराम,लिखमाराम, बल्लाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी बिणजारी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
–: निर्णयः–

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है । पटवारी हल्का इन्दौखा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की है, कि ग्राम बिणजारी के ख. न. 105 किस्म गै० मु० रास्ता राजकीय भूमि में अप्रार्थीगण सोहनराम,लिखमाराम, बल्लाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी बिणजारी ने 1440 वर्गमीटर भूमि पर बाड लगाकर अतिक्रमण किया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन अप्रार्थीगण को उक्त के संबन्ध में जबाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । प्रकरण में अप्रार्थीगण की और से उपखण्ड कार्यालय मकराना में इस संबन्ध में मुकदमा दायर होना बताया परन्तु कोई साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नही किये गये है । पटवारी हल्का इन्दौखा के अनुसार ग्राम बिणजारी के ख. न. 105 किस्म गै० मु० रास्ता राजकीय भूमि में टी.पी. रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अधोपन्त अध्ययन एवं मनन किया । प्रकरण में पटवारी हल्का इन्दौखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिणजारी के ख. न. 105 किस्म गै० मु० रास्ता राजकीय भूमि में अप्रार्थीगण सोहनराम,लिखमाराम, बल्लाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी बिणजारी ने 1440 वर्गमीटर भूमि पर बाड लगाकर अतिक्रमण कर लिया है जो आदिनांक तक मौजूद है । अप्रार्थीगण सोहनराम,लिखमाराम, बल्लाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी बिणजारी को ग्राम बिणजारी के ख. न. 105 किस्म गै० मु० रास्ता राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये/पाये जाने से अतिक्रमी घोषित किया जाता है । अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 कि सपठित धाराओं के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सोहनराम,लिखमाराम, बल्लाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी बिणजारी पर शरह लगान का पच्चास गुणा रूपये 33/– अक्षरे तैंतीस रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाकर अप्रार्थीगण को मोके से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है । निर्णय की पालना में भौतिक रूप से बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का इन्दौखा को एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार मकराना
जिला नागौर (राजस्थान)

तहसीलदार मकराना
जिला नागौर